लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–462021
दूरभाष 0755–2583650 फैक्स 0755–2583651
ई–मेल dpi.excellmp@gmail.com

क्रमांक/उ.वि.से/53/2022/99 भोपाल, दिनांक 6-4-2022

प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,म.प्र.।
   (रायसेन,दतिया,नरसिंहपुर एवं शाजापुर को छोडकर)
2. समस्त प्राचार्य मॉडल स्कूल,
   (रायसेन,दतिया,नरसिंहपुर एवं शाजापुर को छोडकर),म.प्र.।

विषयः– मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 वीं में प्रवेश के संबंध में।

संदर्भः– शासन का पत्र कमांक 963/1625/2020/20–2,भोपाल दिनांक 28/9/2020।

––0––

मॉडल स्कूलों में वर्ष 2020–21 से कक्षा 6 वीं कक्षा का संचालन भी प्रारंभ किया गया है । मॉडल स्कूल विभाग के विनिदिष्ट प्रवर्ग श्रेणी के विद्यालय है । अतः यहॉ वर्ष 2021–22 से नवोदय विद्यालय तथा सैनिक स्कूलों की तरह कक्षा 6 वीं में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्त अनुकम में निर्देशित किया जाता है कि कक्षा 6 वीं में प्रवेश हेतु जहॉ स्वीकृत सीट से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है वहॉ स्थानीय स्तर परीक्षा का आयोजन किया जाकर मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाये। जहॉ आवेदन पत्रों की संख्या निर्धारित सीट संख्या के बराबर या कम प्राप्त होते है वहॉ सीधे प्रवेश दिये जायें।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सभी मॉडल स्कूलों में छात्रावास सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नही है, ऐसी दशा में कक्षा 6 वीं में स्थानीय विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाये ताकि इन विद्यार्थियों को अधिक दूरी तक आवागमन न करना पड़े।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण,म.प्र.

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (आर.एम.एस.ए.), जिला छिंदवाड़ा

पृ.क्र./243/आर.एम.एस.ए./2021–22 छिंदवाड़ा दिनांक 06/04/2022

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला – छिंदवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला – छिंदवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर, संभाग – जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्यविभाग छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त प्राचार्य, शास. उमावि उमावि मॉडल, जिला – छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ कर लेख हैं कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

6/4/22

जिला शिक्षा अधिकारी,
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
(RMSA)
जिला – छिंदवाड़ा

83

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनॉक 28/9/ 2020

कमांक/963/1625/2020/20-2

प्रति,

आयुक्त,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश,
भोपाल

विषयः-विभागीय मॉडल स्कूलों में कक्षा -06 में प्रवेश के संबंध में।
संदर्भः- आपका पत्र क्र. लोशिस/2020/53/150 भोपाल दिनांक 13.7.2020.

--

विभाग के पत्र कमांक एफ/44-09/2020/20-2, भोपाल, दिनांक 30.6.2020 के द्वारा प्रदेश में संचालित 201 विभागीय मॉडल स्कूलों को कक्षा-06 से 12 तक संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। संचालनालय के संदर्भित आदेश द्वारा इन मॉडल स्कूलों में वर्ष 2020-21 से कक्षा 06 में प्रवेश आरम्भ करने व प्रवेश हेतु आवेदन निर्धारित सीट संख्या से अधिक होने पर लॉटरी पद्धति से प्रवेश की अनुमति दी गई है।

2. राज्य शासन प्रदेश के शासकीय मॉडल स्कूलों को विर्निदिष्ट प्रवर्ग श्रेणी का विद्यालय घोषित करता है।

3. विर्निदिष्ट प्रवर्ग श्रेणी का विद्यालय होने से शैक्षणिक सत्र 2021-22 से नवोदय विद्यालय तथा सैनिक स्कूलों की तरह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने की कार्यवाही करें।

28/9/.

(प्रमोद सिंह)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनॉक 28/9/ 2020

पृ.कमांक/964/1625/2020/20-2

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

28/9/20
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

536
06/10/2020

PA/LP/I/M/371
6/10/20

A.D (P.K)

//लेखीराम//
28092020